न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 58/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. श्री उम्मेदसिंह पुत्र गायड़सिंह भाटी जाति राजपूत 2. श्यामलाल पुत्र भैरारामजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजादण्ड, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. गिरधारीलाल गुर्जर पुत्र झूंझाराम गुर्जर निवासी ग्राम राजादण्ड तहसील जैतारण जिला पाली हाल एस 4/2, शर्मा कॉलोनी, बुद्ध विहार, फेस द्वितीय दिल्ली 110086 2. ग्राम पंचायत पाटवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटवा, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18/7/19

यह निगरानी प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत पाटवा की मिसल संख्या 15/2010–11 में पारित आज्ञा दिनांक 20.11.2010 तथा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.11.2010 की पालना में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 12.05.2011 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत पाटवा का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत ने नियम 157 (1) के तहत पत्रावली कायम कर पुश्तैनी (पूर्वजो) के नाम का मकान होना बताकर उसके स्वयं के अकेले के नाम का पट्टा बनाया गया है, जबकि पुश्तैनी पूर्वजों के द्वारा निर्मित मकान का पट्टा सभी वारिसदारों के नाम होना चाहिए था, जो नहीं होने से काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत द्वारा जो मिसल कायम की गई, वह एक ही हस्तलिपी से तैयार की गई है अर्थात एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही दिवस में तैयार की गई है। जिसमें नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। प्रस्ताव रजिस्टर में जो प्रस्ताव दिनांक 20.11.2010 को लिया, उसमें गिरधारी लाल पुत्र झूंझाराम का नाम अंकित नहीं है। प्रस्ताव विधी सम्मत नहीं लिया गया है। आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जो नियम 148 के तहत जारी किया गया, उसे

जिला कलेक्टर, पाली

किन–किन स्थानों पर किन लोगों के समक्ष चस्पा किया गया, नोटिस की पुस्त पर दर्ज नहीं है, जो विधी सम्मत नहीं है तथा 145 से 157(1) तक के नियमों की पालना भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है, दो स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिए गए है। जो बयान लिए गए है। उन पर गवाहों के नाम व उनका विवरण दर्ज नहीं है। जो विधी सम्मत नहीं है। गिरधारी के हिस्से में जैर निगरानी मकान आया है, इस आशय के भाईबंटवाडा की प्रति पत्रावली में नहीं है, न ही उसके भाईयों के इस आशय के बयान लिए गए है। ऐसी स्थिति में पुश्तैनी मकान का पट्टा गिरधारीलाल के अकेले के नाम से नहीं बनाया जा सकता है। इस कारण से भी जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टे की आड़ में अप्रार्थी द्वारा एक दरवाजा श्यामलाल की भूमि व रास्ते की भूमि में खोला तथा उस संबंध में एक सिविल वाद अप्रार्थी द्वार दर्ज कराया गया, उसमें पट्टे की प्रति पेश करने पर प्रार्थीगण को जानकारी होने पर यह निगरानी विधी विरूद्ध जारी पट्टे को खारिज करने हेतु पेश की गई। प्रथम आदेशिका के अलावा अन्य सभी में दिनांक अंकित नहीं है, न ही अंतिम फैसले में दिनांक अंकित है। तीन वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी में वार्डपंचो के नाम अंकित नहीं है। जो नक्शा मिसल के संलग्न है। उसमें नक्शा बनाने वालो के हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी प्रस्ताव व विक्रय विलेख निरस्त फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा ग्राम राजादण्ड की आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, जो एक स्वीकार्य तथ्य है तथा मौके पर अप्रार्थी का पक्का मकान बना हुआ है। अप्रार्थी का यह पुश्तैनी मकान है, जो अप्रार्थी गिरधारीलाल के हिस्से में आया है, जो अप्रार्थी द्वारा ग्राम राजादण्ड के ही अन्य ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों से जाहिर है तथा गिरधारीलाल की भाभी मोरकीदेवी द्वारा भी शपथ पत्र पेश कर कथन किया गया है कि जैर निगरानी आराजी गिरधारी के हिस्से में सहमति से हुए बंटवाडे अनुसार हैं। अप्रार्थी द्वारा मकान के फोटोग्राफ, बिजली बिल आदि भी प्रस्तुत किए है, जिसका अवलोकन फरमावें। जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी गिरधारीलाल के पुश्तैनी बंटवाड़े से हिस्से में आई हुई है। जिसका पट्टा बनाते समय सरपंच अनपढ़ होने से तथा पट्टा मिसल संधारित करने एवं नियमों की बारीकी से जानकारी के अभाव में कुछ कमियां रही है, जो मान्य है। लेकिन जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी की स्वयं की पुश्तैनी आराजी में से उसके हिस्से की है। वकील प्रार्थीगण द्वारा जिस सिविल वाद का जिक्र किया है, वह अप्रार्थी गिरधारीलाल द्वारा ही दर्ज कराया गया तथा श्यामलाल एवं उम्मेदसिंह द्वारा पीछे की तरफ उसक मकान के एक दरवाजे को बन्द करने की नियत से दीवार कराना शुरू करने पर कराया था। जिसमें अप्रार्थी गिरधारी लाल के हक में स्थगन जारी किया है। उसका इस आराजी अथवा निगरानी से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। जैर निगरानी

जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा पंचायत की कमियों के कारण निरस्त किया जाता है, तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए निवेदन है कि मिसल में रही छोटी–छोटी कमियों को गौण मानते हुए, जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का मकान पट्टा बनाने के समय से पूर्व से ही निर्मित है तथा उक्त आराजी अप्रार्थी को उसके पुश्तैनी आपसी बंढवाडा समझौते अनुसार बंट करने से अप्रार्थी गिरधारीलाल के हिस्से में आया, इसकी जांच पंचायत द्वारा नहीं की गई है। परन्तु गिरधारीलाल के भाई की पत्नी मोरकी के शपथ पत्र से उक्त तथ्य स्पष्ट है। मिसल में प्रथम आदेशिका में दिनांक अंकित है, अन्य किसी में भी दिनांक अंकित नहीं है। मकान का मौका निरीक्षण हेतु गठित तीन वार्ड पंचो के नाम आदेशिका में नामित नहीं है, न ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट में उनके हस्ताक्षर है। आपत्ति इश्तिहार पर दिनांक, क्रमांक मोहर आदि नहीं है तथा उसके पृष्ठ भाग में किस तारीख को किस स्थान पर तथा किन लोगों के समक्ष चस्पा किया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं है। जो नक्शा मिसल में है, उसके नक्शा बनाने वालो के हस्ताक्षर भी नहीं है। दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए, उनके बयान फार्मो में नाम वल्दियत, जाति, उम्र, पेशा निवासी आदि अंकित नहीं है तथा उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिनांक 20.11.2010 को लिया गया है। उसमें अप्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत पाटवा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी है, जो उसी के हिस्से में आई है। इस बाबत उसक अन्य पारिवारिक सदस्यों के बयान लिए जाकर जांच की जावे तथा पंचायत की कार्यवाही संबंधी विधी सम्मत प्रस्ताव पंचायत कोरम में पारित कर नियमानुसार आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी कर विधी सम्मत कार्यवाही सम्पादित करते हुए विक्रय विलेख जारी किया जावें। ग्राम पंचायत का रेकर्ड निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत पाटवा को पालनार्थ भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली